



57 M(P) NULL OF

Government of India (Bharat Sarkar) Ministry of Railways (Rail Mantralaya) (Railway Board) cost the William

RBE No./13/2012

New Delhi, dated 05.10.2012

No.E(MPP)2005/6/1

The General Managers,
"All Indian Railways including Production Units

Sub: - Engagement of Course Completed Act Apprentices as substitutes in Group 'D' on Indian Railways

Board vide its letter of even number dated 02.12.2010 (RBE No.171/2010) has clarified that Diploma/Degree holders trained under the Apprentices Act 1961 (as amended from time to time) in Railway establishments can also be considered, (similar to ITI, etc trained Act Apprentices engaged as substitutes) for engagement as substitutes in Group 'D' posts within the General Managers' powers in administrative exigencies subject to their fulfilment of the extant instructions prescribed for such engagement.

Some of the railways have sought further clarifications with regard to procedure/methodology to be adopted for engaging the Degree/Diploma holder Act Apprentices as substitutes in Group 'D'. The same are clarified as under:-

Issues raised by the Railways/units	Clarification
Whether Diploma/Degree holder Act Apprentices (GOI trainees) imparted training are to be absorbed after 2.12.2010 (i.e. the date from the issue of Board's letter) or from any other cut-off date	Degree/Diploma holders trained in railway establishments, earlier than the issue of letter dated 02.12.2010 (RBE No.171/2010) cannot be ignored if they are otherwise eligible for being engaged as substitutes in Group 'D'. Seniority list as maintained for the trained Trade Apprentices should also be maintained for the Degree/Diploma Holders Act Apprentices
The age bar for absorption of GOI trainees	The upper age limit for all recruitment to all Group 'C' and 'D' categories including engagement of substitutes is to be followed as detailed in Board's letter No.E(NG)II/94/RR-1/29 dated 10.05.1999

3/0/013

Before absorption, whether any examination/screening is necessary as is done in the case of passed out Act Apprentices

Since no papers are available in respect of Diploma/Degree holder Act Apprentices with the Rly Admin except the name and no result is forwarded whether they have completed training by BOAT

The Diploma/Degree holder Act Apprentices can be engaged as substitutes provided they fulfill the criteria as laid down vide Board's letter No.E(NG)II/2008/SB/SR/15 dated 17.09.2010

The railways should obtain the relevant details/certificates e.g. education qualification, age, etc from BOAT or the institute from where the candidates have been selected for training in the railway establishments and also the Proficiency Certificate issued by BOAT

(Anil Wason) Dy. Director E(MPP) Railway Board

No.E(MPP)2005/6/1

New Delhi, dated 05.10.2012

Copy to:

- 1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
- 2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
- 3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
- 4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
- 5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
- 6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
- 7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary/Railway Board.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 113 /2012

सं.ई(एमपीपी) 2005/6/1

नई दिल्ली, OS .10.2012

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.

विषयः भारतीय रेलों पर ग्रुप 'डी' में कोर्स कम्पलीटेड एक्ट एप्रेन्टिसों की एवजियों के रूप में नियुक्ति.

बोर्ड ने दिनांक 02.12.2010 के अपने समसंख्यक पत्र (आरबीई सं.171/2010) के द्वारा स्पष्ट किया है कि रेल संगटनों में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षित डिप्लोमा/डिग्री धारकों पर भी प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार महाप्रबंधकों की शक्तियों के अंतर्गत ग्रुप डी पदों में एवजियों के रूप में नियुक्त करने के लिए (एवजियों के रूप में नियुक्त आईटीआई आदि मे प्रशिक्षित एक्ट एप्रेन्टिसों के समान) विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित मौजूदा अनुदेशों को पूरा करते हैं।

कुछ रेलों ने ग्रुप 'डी' में डिग्री/डिप्लोमा धारक एक्ट एप्रेन्टिसों को एवजियों के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि/कार्यपद्धति के संबंध में और स्पष्टीकरण मांगे हैं। ये निम्नानुसार स्पष्ट किए जाते हैं:-

रेलों/डकाइयों द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री धारक दिनांक 02.12.2010 के पत्र (आरबीई अन्य निर्धारित तारीख (कट-ऑफ डेट) से समाहित किया जाना है।

स्पष्टीकरण

एक्ट एप्रेन्टिसों (जीओआई प्रशिक्षणार्थियों) सं.171/2010) के जारी होने से पूर्व रेल को 02.12.2010 के बाद (अर्थात् बोर्ड का संगठनों में प्रशिक्षित डिग्री/डिप्लोमा धारकों पत्र जारी होने की तारीख से) या किसी को, यदि वे अन्यथा ग्रुप डी में एवजियो के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हों. तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षित ट्रेड अप्रेंटिसों के लिए बनाई जानी वाली वरिष्ठता सूची की भांति ही डिग्री/ डिप्लोमा धारक एक्ट एप्रेन्टिसों के लिए भी वरिष्ठता सूची बनाई जाए।

जीओआई प्रशिक्षणार्थियों के समाहन के एवजियों की नियुक्ति सहित सभी ग्रुप सी लिए आयु प्रतिबंध

और 'डी' कोटियों की सभी भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का अनुपालन किया जाना है, जैसा कि बोर्ड के दिनांक 10.05.1999 के पत्र सं.ई(एनजी)।।/94/ आरआर-1/29 में ब्यौरा दिया गया है।

समाहन से पहले क्या कोई पुरीक्षण/छानबीन आवश्यक है, जैसा कि पास आउट एक्ट एप्रेन्टिसों के मामले में होता है।

डिप्लोमा/डिग्री धारक एक्ट एप्रेन्टिसों को एवजियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वे बोर्ड के दिनांक 17.09.2010 के पत्र सं.ई(एनजी)।।/ 2008/एसबी/एसआर/15 के तहत यथा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हो।

डिप्लोमा/डिग्री धारक एक्ट एप्रेन्टिसों के संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं कि क्या उन्होंने बीओएटी से प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

चूंकि नाम को छोड़कर रेल प्रशासन के पास रेलों द्वारा उस बीओएटी या संस्थान, जहां से उम्मीदवारों को रेलवे संगठनों में प्रशिक्षण के लिए चुना गया हो. से शैक्षिक और कोई परिणाम भी नहीं भेजा जाता है अहता, आयु आदि जैसे संगत ब्यौरे/ प्रमाण-पत्र और बीओएटी द्वारा जारी किया गया निपुणता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जाए।

(अंनिल वासन)

उप निदेशक स्थापना (एमपीपी)

रेलवे बोर्ड